



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : AUGUST 14, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. भारत का व्यापार विविधीकरण और मर्चेडाइज निर्यात में उछाल (India's Trade Diversification and Merchandise Export Surge)	2
2. असम-अरुणाचल सीमा अशांति और अंतर-राज्यीय सीमा गतिशीलता (Assam-Arunachal Border Unrest and Inter-State Boundary Dynamics)	4
3. MMDR संशोधन विधेयक 2026 और वित्तीय संघवाद की गतिशीलता (MMDR Amendment Bill 2026 and Fiscal Federalism Dynamics)	5
4. राजस्थान कैबिनेट द्वारा समान नागरिक संहिता और वृक्ष संरक्षण विधेयकों को मंजूरी (Rajasthan Cabinet Nod to Uniform Civil Code and Tree Protection Bills).....	7
5. लोकसभा की सीट संख्या को 543 पर स्थायी रूप से फ्रीज करने की मांग (Demand for Permanent Freeze on Lok Sabha Strength at 543)	8
6. 65 भारतीय भाषाओं के लिए IISc द्वारा स्रावणी (SraVaani) वॉयस AI मॉडल का शुभारंभ (IISc Launch of SraVaani Voice AI Model for 65 Indian Languages)	10
7. चिकित्सा में विश्वास के आधार के रूप में पारदर्शिता (Transparency as the Foundation of Trust in Medicine)	12
8. यूरोपीय संघ AI अधिनियम और भारत के तकनीकी क्षेत्र के लिए रणनीतिक अवसर (EU AI Act and Strategic Opportunities for India's Tech Sector)	13
9. गिरफ्तारी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर संवैधानिक सीमाएं (Constitutional Limits on Arrest and Personal Liberty)	15
10. यूके चेवनिंग फेलोशिप पर अस्थायी रोक: भारत-यूके सॉफ्ट पावर गतिशीलता के लिए रणनीतिक प्रभाव (Temporary Pause on UK Chevening Fellowships: Strategic Implications for Indo-UK Soft Power Dynamics)	17

1. भारत का व्यापार विविधीकरण और मर्चेडाइज निर्यात में उछाल (India's Trade Diversification and Merchandise Export Surge)

मुख्य अंश एवं सारांश (Key Highlights & Summary)

- मर्चेडाइज निर्यात में उछाल:** प्रभावी बाजार विविधीकरण रणनीतियों के माध्यम से आयात वृद्धि को पीछे छोड़ते हुए, जुलाई में भारत का मर्चेडाइज (वस्तु) निर्यात साल-दर-साल 19.6% बढ़कर \$44.2 बिलियन (अरब डॉलर) हो गया।
- पश्चिम एशिया व्यापार में सुधार:** भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद, शिपिंग लाइनों के रणनीतिक मार्ग परिवर्तन और वैकल्पिक बंदरगाहों के उपयोग के कारण पश्चिम एशिया को होने वाला निर्यात लगभग 9% बढ़ा।
- बाजार का विस्तार:** चीन (जुलाई में 65% बढ़कर \$2.2 बिलियन), तंजानिया (130% वृद्धि) जैसे गैर-पारंपरिक साझेदारों के साथ-साथ पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
- कुल व्यापार प्रदर्शन:** जुलाई के लिए भारत का कुल निर्यात \$80.14 बिलियन (13.31% वृद्धि) तक पहुंच गया, जबकि कुल आयात बढ़कर \$95.16 बिलियन (15.83% वृद्धि) हो गया।
- व्यापार घाटे का बढ़ना:** समग्र व्यापार घाटा पिछले वर्ष के \$11.4 बिलियन से बढ़कर जुलाई में \$15 बिलियन हो गया, जो मुख्य रूप से मर्चेडाइज आयात मात्रा (\$76.2 बिलियन) और सेवा आयात (9.5%) की तुलना में धीमी सेवा निर्यात वृद्धि (6.4%) के कारण हुआ।

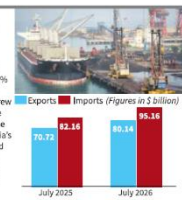
Goods exports surge 20% as India diversifies trade

India's exports to West Asia recovered in July amid the crisis after re-routing shipping lines, says Commerce Secretary; trade deficit, however, widens as service exports grow slower than imports

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

Despite the ongoing turmoil in West Asia, India's merchandise exports saw a growth of nearly 20% in July this year, faster than that of imports, official data released on Thursday show. Notably, exports to West Asia itself have recovered, with July's exports to the region nearly 9% higher than the same period last year. According to Commerce Secretary Rajesh Agrawal, this has been achieved by routing India's trade through different ports and shipping lines. India's merchandise exports stood at \$44.2 billion in July, up 19.6% over its level in the same period last year. According to Mr. Agrawal, this was achieved

Soaring trade
India's total exports for July 2026 grew 13.31% from July 2025, while imports grew by 15.83% in the same period. The chart shows India's total exports and imports in July 2026 compared to the year-ago period.



through continued diversification of export destinations. Merchandise imports, meanwhile, grew at a relatively slower 17.5% in July to \$76.2 billion. "If you look at destination countries, we are now doing well in countries where we typically did not

earlier, such as China, Singapore, Japan, South Korea, Taiwan, Vietnam, Austria, Malaysia, and several other countries," Mr. Agrawal said at a press conference. "Even in Africa, in Kenya and the South African Customs Union region, there has been an increase

in exports in the first four months of this financial year," the Commerce Secretary noted. "Tanzania has also been a very strong silver lining where 130% growth in exports has been seen." India's exports to China grew 65% to \$2.2 billion in July, albeit on a low base. Over the course of April-July this year, exports to China grew 36%. However, India's trade deficit still widened to \$15 billion in July from \$11.4 billion in the corresponding period last year as services imports grew faster than services exports. The data show that services exports grew 6.4% in July to \$35.9 billion while imports grew 9.5% to \$18.9 billion.

CONTINUED ON
PAGE 14

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- व्यापार घाटा (Trade Deficit):** एक ऐसी आर्थिक स्थिति जहां किसी निश्चित अवधि में किसी देश की आयातित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उसके निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से अधिक हो जाता है।
- मर्चेडाइज व्यापार (Merchandise Trade):** सेवाओं, वित्तीय परिसंपत्तियों और बौद्धिक संपदा हस्तांतरण को छोड़कर, राष्ट्रों के बीच भौतिक/मूर्त वस्तुओं की वास्तविक आवाजाही।
- व्यापार विविधीकरण (Trade Diversification):** विशेष साझेदार देशों या वस्तुओं पर निर्भरता को कम करने के लिए निर्यात बाजारों का विस्तार करने और निर्यात उत्पाद आधार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से बनाई गई एक रणनीतिक नीति।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- अनुच्छेद 301 (व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता):** यह गारंटी देता है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा, जो अनुच्छेद 302-304 के तहत उचित जनहित प्रतिबंधों के अधीन है।
- विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992:** प्राथमिक वैधानिक ढांचे के रूप में कार्य करता है जो केंद्र सरकार को निर्यात-आयात (EXIM) नीतियों को तैयार करने, नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए अधिकृत करता है।
- विदेशी व्यापार नीति (FTP) 2023:** वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत के एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक दीर्घकालिक रणनीतिक पहल, जिसका लक्ष्य प्रक्रिया स्वचालन (प्रोसेस ऑटोमेशन), निर्यात हब और बाजार विविधीकरण के माध्यम से 2030 तक कुल निर्यात में \$2 ट्रिलियन हासिल करना है।

निष्कर्ष (Conclusion)

वैश्विक भू-राजनीतिक विपरीत परिस्थितियों के बीच भारत का मर्चेडाइज निर्यात प्रदर्शन आपूर्ति-श्रृंखला की अनुकूलन क्षमता और प्रभावी व्यापार विविधीकरण रणनीतियों को प्रदर्शित करता है। हालांकि, बढ़ते समग्र व्यापार घाटे को प्रबंधित करने के लिए विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने हेतु निरंतर संरचनात्मक सुधारों के साथ-साथ उच्च मूल्य वाले सेवा निर्यात में निरंतर गति बनाए रखने की आवश्यकता है।

UPSC उपयोगिता (UPSC Relevance)

- पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्दे)।
- परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु:** भारतीय व्यापार की संरचनात्मक गतिशीलता, व्यापार घाटे को प्रबंधित करने के तंत्र, विदेशी व्यापार नीति के उद्देश्यों और रणनीतिक समुद्री रसद (लॉजिस्टिक्स) समायोजन पर ध्यान केंद्रित करें।

2. असम-अरुणाचल सीमा अशांति और अंतर-राज्यीय सीमा गतिशीलता (Assam-Arunachal Border Unrest and Inter-State Boundary Dynamics)

मुख्य अंश एवं सारांश (Key Highlights & Summary)

- आर्थिक नाकेबंदी का अस्थायी निलंबन:** असम में मिसिंग समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले 'तकाम मिसिंग पोरिन केबांग' (TMPK) ने द्विपक्षीय प्रशासनिक आश्वासन के बाद अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ अपनी आर्थिक नाकेबंदी को निलंबित कर दिया।
- 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी:** छात्र संगठन ने धेमाजी जिले के मिंगमांग बोदोती में 10 अगस्त की गोलीबारी की घटना में शामिल अरुणाचल स्थित चार व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे की समय सीमा जारी की।
- भूमि विवादों में निहित मूल कारण:** असम के धेमाजी जिले (जो अरुणाचल प्रदेश के लिकाबाली से सटा है) में हिंसक झड़प, जिसमें 11 लोग घायल हो गए थे, बार-बार होने वाले अंतर-राज्यीय भूमि अधिकार दावों से उत्पन्न हुई है।
- उच्च स्तरीय अंतर-राज्यीय मध्यस्थता:** असम के कैबिनेट मंत्रियों ने TMPK नेताओं के साथ बातचीत की, जबकि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शांति और पुलिस बलों के बीच सहयोगात्मक कार्रवाई का आग्रह किया।
- जमीनी स्तर पर निरंतर तनाव:** 2022 के नामसाई घोषणापत्र और 2023 के सीमा समझौता ज्ञापन (MoU) जैसे मैक्रो-स्तरीय राजनीतिक समझौतों के बावजूद, कृषि भूमि और गांव की सीमाओं पर स्थानीय विवाद आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां पेश कर रहे हैं।

Assam outfit suspends 'blockade' imposed on Arunachal boundary

The Hindu Bureau
GUWAHATI

Tension along the Assam-Arunachal Pradesh boundary eased on Thursday night after Takam Mising Porin Kebang (TMPK), the apex student body of Assam's Mising community, suspended the "economic blockade" of Arunachal Pradesh. However, it gave a 48-hour ultimatum to arrest four Arunachal Pradesh-based persons accused in the August 10 firing incident that took place over a land dispute.

On Wednesday, the TMPK and other groups had launched the blockade in protest against the firing in which 11 persons from



Protesters in Assam blocking a road leading to Arunachal Pradesh on Thursday. SPECIAL ARRANGEMENT

Assam were injured in the Mingmang Bodoti area of Assam's Dhemaji district. After talks with the Assam government and civil society groups of Arunachal Pradesh on Thursday, the TMPK said: "Assurances were given regarding action on the core demands raised

by the TMPK. In view of these assurances and in consideration of the difficulties being faced by the common people, the TMPK has decided to temporarily suspend the blockade."

Earlier in the day, officials in Dhemaji said police restored order by firing blank shots after a scuffle between people from both States followed an incident of stone-pelting. The violence was reported from an area adjoining Likabali in Arunachal Pradesh.

Officials of both the States had expected tension along the boundary to ease after Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Arunachal Pradesh counterpart Pema

Khandu appealed for calm, and promised action against those responsible for the firing.

Following the renewed unrest, the Assam government rushed Ministers Atul Bora and Ranajit Pegu to Dhemaji. They held a meeting with the TMPK leaders and several other organisations.

TMPK president Tilak Doley said the meeting was positive. "They accepted our demands and said these would be fulfilled through dialogue," he said. Mr. Pegu told the TMPK leaders that Assam police have requested their Arunachal Pradesh counterparts to hand over the four persons accused of firing.

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- आर्थिक नाकेबंदी (Economic Blockade):** विरोध प्रदर्शन की एक ऐसी रणनीति जिसमें पड़ोसी राज्य या क्षेत्र में व्यापार, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए राजमार्ग गलियारों को बाधित करना शामिल है।
- अंतर-राज्यीय सीमा विवाद (Inter-State Boundary Dispute):** प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, सीमांकन या भूमि स्वामित्व के संबंध में किसी संघ (फेडरेशन) के घटक राज्यों के बीच क्षेत्रीय असहमति।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- संविधान का अनुच्छेद 3:** संसद को राज्यों की सीमाओं में बदलाव करने, नाम बदलने या नए राज्यों का गठन करने का सर्वोच्च अधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 131:** राज्य सरकारों के बीच या संघ और राज्यों के बीच कानूनी विवादों की सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 263:** आम सहमति बनाने, नीतिगत समन्वय और अंतर-राज्यीय मुद्दों की जांच की सुविधा के लिए एक अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) के गठन को अधिकृत करता है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971:** ऐतिहासिक विधान जिसने वृहत्तर असम का पुनर्गठन किया, जिससे पूरे पूर्वोत्तर भारत में सीमा संबंधों के लिए एक संरचनात्मक आधार रेखा तैयार हुई।

निष्कर्ष (Conclusion)

जबकि शीर्ष स्तर की द्विपक्षीय घोषणाएं आवश्यक गति प्रदान करती हैं, पूर्वोत्तर सीमाओं पर स्थायी शांति के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) द्वारा सटीक भौतिक सीमांकन और जमीनी स्तर की प्रशासनिक शिकायतों को दूर करने के लिए संस्थागत स्थानीय शांति समितियों की आवश्यकता है।

UPSC उपयोगिता (UPSC Relevance)

- पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्न पत्र-II (भारतीय संविधान, सहकारी संघवाद, अंतर-राज्यीय संबंध और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां)।
- परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु:** अंतर-राज्यीय विवाद समाधान के तंत्र (अनुच्छेद 3, 131, 263), पूर्वोत्तर भारत का संरचनात्मक पुनर्गठन और सीमा सुरक्षा प्रबंधन में स्थानीय जातीय निकायों की भूमिका का अध्ययन करें।

3. MMDR संशोधन विधेयक 2026 और वित्तीय संघवाद की गतिशीलता (MMDR Amendment Bill 2026 and Fiscal Federalism Dynamics)

मुख्य अंश एवं सारांश (Key Highlights & Summary)

- संसदीय स्वीकृति:** लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है, जो राज्य सरकारों को खनिज अधिकारों या खनिज-युक्त भूमि पर अतिरिक्त कर, उपकर (cess) या लेवी लगाने से रोकता है।
- केंद्रीयकृत विनियमन:** यह विधेयक खदान विकास पर मौजूदा विनियमन के अलावा खनिज-युक्त भूमि पर संघ के विनियामक नियंत्रण का विस्तार करता है।

- अतीत के बकाए का अमान्यीकरण:** इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व लगाया गया कोई भी गैर-वसूला गया राज्य कर, उपकर या लेवी अमान्य माना जाएगा, हालांकि पहले से एकत्र की गई राशि वापस नहीं की जाएगी।
- राज्यों द्वारा आपत्तियां:** झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे "काला विधेयक" करार दिया, और राज्य के कल्याणकारी वित्त पोषण पर इसके प्रभाव के कारण व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी, क्योंकि झारखंड में भारत के खनिज भंडार का 40% हिस्सा है।
- संघीय ढांचे से जुड़ी चिंताएं:** केरल और झारखंड जैसे राज्यों के नेताओं ने तर्क दिया कि यह कानून भूमि और खनिज कराधान अधिकारों पर राज्य के क्षेत्राधिकार का गंभीर रूप से अतिक्रमण करता है।
- केंद्र का उद्देश्य:** केंद्र सरकार का दावा है कि इस कानून का उद्देश्य निष्कर्षण पर अनुपातहीन वित्तीय बोझ को रोकना, कीमतों में एकरूपता स्थापित करना, निवेश आकर्षित करना और राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि की रक्षा करना है।

Minerals belong to Jharkhand, land belongs to Jharkhand: CM

Soren warns of massive agitation against amendment Bill passed by Parliament, says his State, which has about 40% of India's total minerals, won't tolerate this step without treatment

Amit Ithari
PATNA

Jharkhand Chief Minister Hemant Soren on Thursday strongly opposed the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2020, passed by Parliament on Thursday, which seeks to restrict State powers to levy taxes on mineral rights and mineral-bearing lands.

The Lok Sabha passed the Bill on Wednesday while the Rajya Sabha cleared it on Thursday, completing the parliamentary approval process. The Bill will become a law after receiving the President's assent.

'Black Bill' Calling the legislation a "Black Bill" and an injustice to the people of Jharkhand, Mr. Soren warned of a massive agitation against



Jharkhand CM Hemant Soren called it a "black bill" and said it undermines the State's rights over its mineral resources. H.S. NATH

the Centre's move. "The entire nation will witness. Minerals belong to Jharkhand, land belongs to Jharkhand, so why should Delhi decide on our rights and entitlements? In haste, the Central government passed the Mines and Minerals (Development and

and future. Jharkhand will not tolerate this step without treatment. In Jharkhand, schemes providing social security to millions - such as the Naya Samman Yojana, Abua Awas Yojana, pensions, education, health, and others - will be on the verge of closure. The Jharkhand Mahatma Marcha strongly opposes this," the Chief Minister said.

Statewide protest Mr. Soren added that there will be fierce opposition to the move in "every district, every block, every panchayat, every town." "If the Central government does not come to its senses and fails to restore to Jharkhand and its people their rights and entitlements, Jharkhand will not shy away from taking decisive and historic decisions either," he said.

SEE ALSO
PAGE 15

Mines Bill is a grave threat to our federal structure: Kerala CM

The Hindu Bureau
THIRUVANANTHAPURAM

Kerala Chief Minister V.D. Sabheshan on Thursday said the State government would mount strong political and, if necessary, legal opposition to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2020, passed by the Lok Sabha on Wednesday.

He said the legislation amounted to "a serious encroachment on the State's constitutional powers over land and poses a grave threat to India's federal structure". Addressing media persons after a Cabinet meeting, Mr. Sabheshan said the State's principal objection was that the amendment sought to bring powers relating to land, which comes under Entry 18 of the State List, within the Centre's sphere of authority.

He said the Constitution clearly distributed legisla-



the powers between the Union, State and Concurrent Lists, with States having exclusive authority over subjects in the State List. Land, he pointed out, falls under Entry 18 and therefore comes within the States' legislative jurisdiction. Mr. Sabheshan alleged that the Centre was attempting to expand its jurisdiction through the definition of "mineral-bearing land", without excluding coastal areas and forests.

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- खनिज अधिकार (Mineral Rights):** निर्दिष्ट भूमि क्षेत्रों से उप-सतह (जमीन के नीचे) खनिज भंडारों को निकालने, उन पर कब्जा रखने और उनका व्यवसायीकरण करने के लिए दिए गए कानूनी अधिकार।
- वित्तीय संघवाद (Fiscal Federalism):** सरकार के केंद्रीय और क्षेत्रीय स्तरों के बीच कराधान शक्तियों, विधायी जिम्मेदारियों और वित्तीय संसाधनों का विभाजन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- प्रविष्टि 23, राज्य सूची (सातवीं अनुसूची):** संघ सूची के प्रावधानों के अधीन, राज्यों को खानों और खनिज विकास के विनियमन पर शक्ति प्रदान करती है।
- प्रविष्टि 50, राज्य सूची (सातवीं अनुसूची):** खनिज विकास से संबंधित कानून द्वारा संसद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन, राज्यों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति देती है।
- प्रविष्टि 18, राज्य सूची (सातवीं अनुसूची):** भूमि, भूमि में या भूमि पर अधिकार, भू-धृति (land tenures), और लगान के संग्रह पर राज्य की विधायी शक्तियों को कवर करती है।
- प्रविष्टि 54, संघ सूची (सातवीं अनुसूची):** संसद द्वारा कानून द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित की गई सीमा तक केंद्र को खानों और खनिज विकास को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करती है।
- अनुच्छेद 246:** संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के माध्यम से संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच विधायी शक्ति के वितरण को स्थापित करता है।
- जुलाई 2024 का उच्चतम न्यायालय का फैसला:** 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि राज्यों के पास राज्य सूची की प्रविष्टि 50 के तहत खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने की शक्ति है।

निष्कर्ष (Conclusion)

MMDR संशोधन विधेयक, 2026 राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करने और अलग-अलग राज्य कराधान को रोकने का प्रयास करता है। हालांकि, खनिज-युक्त भूमि पर राज्य की वित्तीय स्वायत्तता को सीमित करना संघीय विवादों को फिर से भड़काता है, जिसके लिए एक संतुलित ढांचे की आवश्यकता है जो राज्य के राजस्व आवश्यकताओं के साथ व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) का तालमेल बनाए।

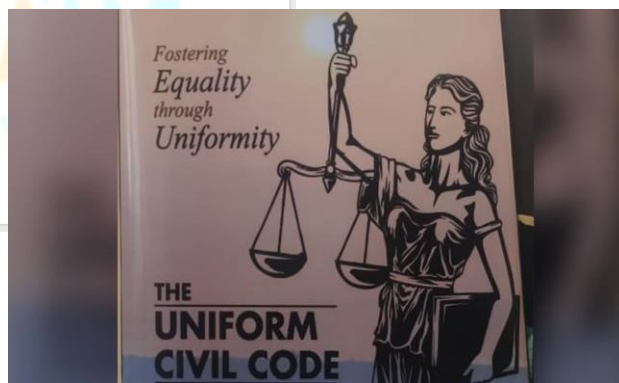
UPSC उपयोगिता (UPSC Relevance)

- पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्न पत्र-II (संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, शक्तियों एवं वित्त का हस्तांतरण) और सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, खनन क्षेत्र)।
- परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु:** संघ-राज्य वित्तीय संबंधों, सातवीं अनुसूची में संवैधानिक तनाव के बिंदुओं, खनिज कराधान पर 2024 के उच्चतम न्यायालय के 9-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले और रणनीतिक संसाधन शासन पर ध्यान केंद्रित करें।

4. राजस्थान कैबिनेट द्वारा समान नागरिक संहिता और वृक्ष संरक्षण विधेयकों को मंजूरी (Rajasthan Cabinet Nod to Uniform Civil Code and Tree Protection Bills)

मुख्य अंश एवं सारांश (Key Highlights & Summary)

- दो जुड़वां विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी:** राजस्थान कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक और वृक्ष (संरक्षण) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिन्हें विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाना तय है।
- व्यापक व्यक्तिगत कानून सुधार:** प्रस्तावित UCC विवाह, तलाक, विरासत, भरण-पोषण और लिव-इन संबंधों को नियंत्रित करने वाला एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जबकि बहुविवाह को प्रतिबंधित करता है।
- अनिवार्य पंजीकरण समयसीमा:** UCC विभिन्न धार्मिक रीति-रिवाजों (जैसे सप्तपदी, निकाह, आनंद कारज और होली यूनियन/पवित्र विवाह) के माध्यम से अनुष्ठानिक संपादन की सुरक्षा करते हुए, घटना के 60 दिनों के भीतर सभी विवाहों और तलाक के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है।
- विरासत में लैंगिक समानता:** मसौदा संहिता परस्पर विरोधी व्यक्तिगत कानूनों को निरस्त करते हुए सभी धर्मों में बेटों और बेटियों को संपत्ति में समान उत्तराधिकार अधिकार की गारंटी देती है।
- अनुसूचित जनजातियों के लिए छूट:** सांस्कृतिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए, अनुसूचित जनजातियों और संवैधानिक रूप से संरक्षित पारंपरिक/रूढ़िगत अधिकारों वाले वर्गों को स्पष्ट रूप से UCC के दायरे से बाहर रखा गया है।



- वनस्पति का संरक्षण:** वृक्ष (संरक्षण) विधेयक राज्य भर में वृक्षों की 29 निर्दिष्ट प्रजातियों को विशेष कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जिसमें राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी (*Prosopis cineraria*) भी शामिल है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC):** धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, कस्टडी/संरक्षण, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले धर्मनिरपेक्ष नागरिक कानूनों का एक एकल समूह।
- व्यक्तिगत कानून (Personal Laws):** पारिवारिक और संपत्ति के मामलों में व्यक्तियों की धार्मिक संबद्धता या सामुदायिक पहचान के आधार पर उन पर लागू होने वाले पारंपरिक या शास्त्रीय नियमों का एक समूह।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- अनुच्छेद 44 (राज्य की नीति के निदेशक तत्व):** राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- प्रविष्टि 5, समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची):** विवाह, तलाक, गोद लेने, वसीयत, अनावसीयता (intestacy) और उत्तराधिकार पर संसद और राज्य विधानसभाओं को संयुक्त विधायी क्षेत्राधिकार प्रदान करती है।
- अनुच्छेद 25-28 (मौलिक अधिकार):** संविधान के भाग III के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन रहते हुए धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 163:** मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट को कार्यकारी और विधायी कार्यों के निष्पादन में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने का अधिकार प्रदान करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

राजस्थान का दोहरा विधायी प्रयास पारिस्थितिक संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ अनुच्छेद 44 के तहत व्यक्तिगत कानून के मानकीकरण के माध्यम से सामाजिक शासन में सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास को दर्शाता है। अल्पसंख्यक रीति-रिवाजों और जनजातीय सुरक्षा के लिए संवैधानिक गारंटियों के साथ समान कानूनी अधिकारों का संतुलन बनाए रखना सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

UPSC उपयोगिता (UPSC Relevance)

- पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्न पत्र-II (भारतीय संविधान—राज्य की नीति के निदेशक तत्व, संघवाद, समवर्ती सूची) और सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्न पत्र-III (पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता)।
- परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु:** समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 44 के तहत राज्य स्तरीय UCC अधिनियमों की संवैधानिक वैधता, जनजातीय रूढ़िगत कानून सुरक्षा, और क्षेत्रीय जैव विविधता संरक्षण के लिए वैधानिक ढाँचों का विश्लेषण करें।

5. लोकसभा की सीट संख्या को 543 पर स्थायी रूप से फ्रीज करने की मांग (Demand for Permanent Freeze on Lok Sabha Strength at 543)

मुख्य अंश एवं सारांश (Key Highlights & Summary)

- **मुख्यमंत्री का पत्र व्यवहार:** तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 12 अगस्त को राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव को संलग्न किया, जिसमें लोकसभा सीटों को 543 पर स्थायी रूप से फ्रीज करने के लिए संवैधानिक संशोधन का अनुरोध किया गया है।
- **अंतर-राज्यीय वितरण को संरक्षित करना:** यह प्रस्ताव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीटों के मौजूदा आनुपातिक वितरण को बनाए रखने के साथ-साथ राज्यसभा और लोकसभा के 2.2:1 के वर्तमान अनुपात को बनाए रखने की मांग करता है।
- **महिला कोटा को परिसीमन से अलग करना:** राज्य जनगणना के बाद के परिसीमन का इंतजार किए बिना, वर्तमान 543 सीटों के आधार पर 2029 के चुनावों से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण (106वां संशोधन) तुरंत लागू करने का आग्रह करता है।
- **जनसांख्यिकीय दंड (Demographic Penalty) की आशंका:** दक्षिणी राज्य इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं कि 1971 के बाद के जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करके निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन से परिवार नियोजन, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए उन्हें दंडित किया जाएगा।
- **ऐतिहासिक मिसाल:** प्रस्ताव में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 1967 के परिसीमन के दौरान, जनसंख्या समायोजन के कारण तमिलनाडु का लोकसभा प्रतिनिधित्व 41 सीटों से घटकर 39 सीटें रह गया था, जिससे सीटों के पुनर्गठन को लेकर ऐतिहासिक चिंताएं उत्पन्न हुईं।
- **संघीय अन्याय का तर्क:** 1971 के बाद के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर सीटों के अनुपात में बदलाव से कम प्रजनन दर वाले राज्यों के लिए स्थायी राजनीतिक हाशिएकरण (Political Marginalization) और चुनावी आवाज में कमी का खतरा है।

Amend Constitution to freeze Lok Sabha strength at 543, T.N. CM writes to PM

The Hindu Bureau

Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay on Thursday wrote to Prime Minister Narendra Modi, enclosing a copy of the resolution moved by him and adopted by the Assembly on August 12, urging the Centre to bring an amendment to the Constitution to freeze the number of Lok Sabha seats at 543, and retain the current proportion of inter-State distribution of seats.



Any delimitation based on the post-2026 population that altered the existing strength would cause a lasting injustice to the Southern States.

The Assembly had said that after the population Census, the Southern States might lose a significant number of parliamentary seats if Article 32(2) was applied, as had happened in 1967 when the number of Lok Sabha seats was reduced from 41 to 39 in Tamil Nadu, he said. Any delimitation based on the post-2026 population that altered the existing strength would cause a lasting injustice to the Southern States, which had efficiently implemented population-control programmes, achieved good economic growth, and carried out healthcare and welfare schemes, the CM added.

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **परिसीमन (Delimitation):** जनसंख्या में बदलाव को दर्शाने के लिए संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की क्षेत्रीय सीमाओं को तय करने या फिर से रेखांकित करने की प्रक्रिया, जिससे लगभग समान मतदाता वितरण सुनिश्चित हो सके।
- **डेमोग्राफिक संघवाद (Demographic Federalism):** एक ऐसा सिद्धांत जो वर्तमान जनसांख्यिकीय वास्तविकता के आधार पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व (एक व्यक्ति, एक वोट) को उन संघीय इकाइयों के लिए संरचनात्मक सुरक्षा के साथ संतुलित करता है जो राष्ट्रीय जनसांख्यिकीय स्थिरीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **अनुच्छेद 81:** लोकसभा की संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसके लिए सीटों और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात व्यावहारिक सीमा तक सभी राज्यों में समान होना आवश्यक है।
- **अनुच्छेद 82:** प्रत्येक राष्ट्रीय जनगणना के बाद सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के क्षेत्रीय विभाजन के पुनर्समायोजन को अनिवार्य बनाता है।

- **84वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2001:** लोकसभा सीटों की कुल संख्या 543 (मूल रूप से 1971 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके 42वें संशोधन, 1976 द्वारा अधिनियमित) को वर्ष 2026 के बाद की पहली जनगणना तक फ्रीज करने की अवधि को बढ़ा दिया।
- **106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों को अनिवार्य करता है, जिसे पहली जनगणना और उसके बाद के परिसीमन के बाद लागू करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

निष्कर्ष (Conclusion)

यह बहस वर्तमान जनसांख्यिकीय वास्तविकता के आधार पर संख्यात्मक लोकतंत्र और प्रमुख राष्ट्रीय सामाजिक संकेतकों को प्राप्त करने वाले राज्यों के लिए संघीय समानता के बीच मूल तनाव को उजागर करती है। भविष्य की संवैधानिक समीक्षाओं के दौरान निष्पक्ष विधायी प्रतिनिधित्व को जनसंख्या नियंत्रण के प्रोत्साहनों के साथ जोड़ना सर्वसम्मति से संचालित नीतिगत दृष्टिकोण की मांग करता है।

UPSC उपयोगिता (UPSC Relevance)

- **पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्न पत्र-II (भारतीय संविधान—संघीय ढांचा, शक्तियों का हस्तांतरण, राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दे और संसदीय गतिशीलता)।
- **परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु:** परिसीमन के संवैधानिक तंत्र (अनुच्छेद 81 और 82), संवैधानिक सीट फ्रीज का इतिहास, 106वें संशोधन का कार्यान्वयन खंड, और जनसांख्यिकीय असंतुलन के आसपास संघीय चिंताओं का अध्ययन करें।

6. 65 भारतीय भाषाओं के लिए IISc द्वारा स्रवाणी (SraVaani) वॉयस AI मॉडल का शुभारंभ (IISc Launch of SraVaani Voice AI Model for 65 Indian Languages)

मुख्य अंश एवं सारांश (Key Highlights & Summary)

- **स्रवाणी AI मॉडल का शुभारंभ:** भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के शोधकर्ताओं ने अपने SPIRE लैब के माध्यम से, ARTPARK और गूगल (Google) के सहयोग से भारत का पहला ओपन-सोर्स बहुभाषी वाक् पहचान (Speech Recognition) AI मॉडल 'स्रवाणी' (SraVaani) जारी किया।
- **गैर-अनुसूचित भाषाओं का कवरेज:** यह मॉडल 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों का समर्थन करता है, जिनमें आठवीं अनुसूची के तहत 20 अनुसूचित भाषाएं और 45 क्षेत्रीय या जनजातीय भाषाएं शामिल हैं जिनमें वर्तमान में आधिकारिक डिजिटल पहचान साधनों का अभाव है।
- **वंचित आबादी का समावेश:** यह पहल 25 करोड़ से अधिक लोगों (2011 की जनगणना के अनुसार) तक वॉयस AI और ऑटोमैटिक स्पीच रिकग्निशन (ASR) पहुंच का विस्तार करती है जो बोलियों और गैर-अनुसूचित भाषाओं को बोलते हैं।

- व्यापक भौगोलिक समावेश:** सभी भारतीय क्षेत्रों की वंचित क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन करता है, जिनमें गारो (Garo), कोकबोरोक (Kokborok), अंगिका (Angika), चकमा (Chakma), तुलु (Tulu), बुंदेली (Bundeli), और बज्जिका (Bajjika) शामिल हैं।
- कम संसाधनों वाली भाषाओं में उच्च सटीकता:** कम संसाधनों वाली भाषाओं में सटीकता में महत्वपूर्ण सुधार हासिल किया गया, जैसे गारो भाषा पर 9.5% वर्ड एरर रेट (WER) दर्ज किया गया, जबकि पारंपरिक प्रणालियों में यह 69.4% था।
- ओपन-सोर्स उपलब्धता:** सार्वजनिक अनुसंधान, नवाचार और स्थानीय सॉफ्टवेयर अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) लाइसेंस के तहत हगिंग फेस (Hugging Face) पर निःशुल्क प्रकाशित किया गया।

AI speech recognition model trained on 65 Indian languages and dialects released

The Hindu Bureau
BENGALURU

Researchers at Indian Institute of Science (IISc) in Bengaluru, in collaboration with AICTE and Google, have released SraVaani, the first multilingual Indian speech recognition model trained on 65 Indian languages and dialects. It is a significant step towards making AI speech recognition systems more inclusive and accessible to people across the country.



The IISc team's SraVaani model covers 20 scheduled languages and 45 regional languages and dialects. It is trained on a large dataset of speech samples and is designed to be used in a variety of applications, including voice search, transcription, and accessibility tools.

capabilities to around 25 crore people as per the 2011 Census, whose languages are not properly handled by current systems. The model supports languages such as Garo, Angika, Chakma, Kokborok, Tulu, Bundeli and Jaghika. Results on several of these languages are particularly strong, including a 9.5% word error rate on Garo, compared with 69.4% for the next best system evaluated. "At IISc, research has always been in service to the nation, and SraVaani, serving more than 60 Indian languages, is a contribution towards that," said Govindan Rangarajan, Director, IISc.

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- ऑटोमैटिक स्पीच रिकग्निशन (ASR):** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्प्यूटेशनल भाषाविज्ञान की एक शाखा जो मानव द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मशीन-पठनीय टेक्स्ट फॉर्मेट में संसाधित करती है।
- वर्ड एरर रेट (WER):** स्वचालित वाक् पहचान प्रणालियों की सटीकता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मानक मीट्रिक, जिसकी गणना कुल संदर्भ शब्दों के अनुपात में शब्द त्रुटियों (प्रतिस्थापन, विलोपन, प्रविष्टि) के रूप में की जाती है।
- अनुसूचित बनाम गैर-अनुसूचित भाषाएं:** अनुसूचित भाषाएं वे हैं जो आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, जबकि गैर-अनुसूचित भाषाएं सूची के बाहर की क्षेत्रीय, जनजातीय या अल्पसंख्यक मातृभाषाएं हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- आठवीं अनुसूची (अनुच्छेद 344(1) और 351):** 22 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूचीबद्ध करती है; अनुच्छेद 351 क्षेत्रीय भाषाई विरासत का सम्मान करते हुए हिंदी के प्रसार और संवर्धन का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 29(1):** भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020:** डिजिटल वॉयस प्रौद्योगिकियों द्वारा समर्थित, प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षण पर जोर देती है।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:** मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किए जाने वाले वॉयस और भाषाई डेटासेट के नैतिक संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण को विनियमित करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

स्रवाणी (SraVaani) का विमोचन लोकतांत्रिक AI विस्तार में एक प्रमुख मील का पत्थर प्रस्तुत करता है, जो भारत के डिजिटल भाषा अंतराल को पाटता है। गैर-अनुसूचित और जनजातीय भाषाओं के लिए ओपन-सोर्स ASR क्षमताएं प्रदान करके, यह तकनीक-संचालित सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करता है, लुप्तप्राय भाषाई विरासत को संरक्षित करता है और वंचित आबादी के लिए ई-गवर्नेंस एवं शैक्षणिक सेवाओं के द्वार खोलता है।

UPSC उपयोगिता (UPSC Relevance)

- पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्न पत्र-II (सामाजिक न्याय, शासन, अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण) और सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्न पत्र-III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी—आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास)।
- परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु:** डिजिटल विभाजन को पाटने में AI के अनुप्रयोगों, अनुच्छेद 29 और 351 के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक गारंटियों, ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकी ढाँचों और शासन में डिजिटल समावेशन की भूमिका का विश्लेषण करें।

7. चिकित्सा में विश्वास के आधार के रूप में पारदर्शिता (Transparency as the Foundation of Trust in Medicine)

मुख्य अंश एवं सारांश (Key Highlights & Summary)

- संस्थागत पारदर्शिता की अनिवार्यता:** स्वास्थ्य सेवा में जनता का विश्वास काफी हद तक सुलभ विनियामक ढाँचों पर निर्भर करता है, जैसे कि डॉक्टरों की साख की पुष्टि करने के लिए राज्य चिकित्सा परिषदों (State Medical Councils) द्वारा संचालित उपयोगकर्ता-अनुकूल ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ।
- व्यक्तिगत दोष के स्थान पर प्रणालीगत डिज़ाइन पर जोर:** आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को व्यक्तिगत चिकित्सकों को दंडित करने की परिपाटी से आगे बढ़कर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के उन दिशानिर्देशों को अपनाना चाहिए, जो चिकित्सा त्रुटियों के पीछे की प्रणालीगत डिज़ाइन खामियों का विश्लेषण करते हैं।
- खुले प्रकटीकरण (Open Disclosure) की संस्कृति:** 'खुले प्रकटीकरण' की एक औपचारिक व्यवस्था स्थापित करना रोगियों के साथ चिकित्सा जटिलताओं, वित्तीय लागतों और उपचारात्मक अनिश्चितताओं के संबंध में संरचित और ईमानदार संचार सुनिश्चित करता है।
- कार्यस्थल पर हिंसा को कम करना:** 75% से अधिक भारतीय डॉक्टरों द्वारा कार्यस्थल पर हिंसा का सामना करने की पृष्ठभूमि में, सक्रिय संचार और पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रियाएं प्रणालीगत अविश्वास और संघर्ष के विस्तार के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती हैं।
- साझा निर्णय लेने की ओर बदलाव:** एकतरफा/पितृसत्तात्मक चिकित्सा पद्धतियों से सहयोगात्मक निर्णय लेने (Shared Decision-Making) की ओर बढ़ने के लिए सरल भाषा में नैदानिक व्याख्याओं, रोगियों की प्रगति के समय-समय पर अपडेट और चिकित्सा छात्रों के लिए नैदानिक संचार प्रशिक्षण (Clinical Communication Training) को शामिल करने की आवश्यकता है।

Transparency as the foundation of trust in medicine

India marked Doctors' Day on July 1, but the occasion demands that we continue to look beyond well-deserved expressions of gratitude and reflect on the structural foundations that sustain public confidence in health care. Trust in medicine is frequently thought of as a sacred, isolated bond between patient and doctor. In reality, that trust is forged much earlier – within the institution that regulates care, the systems that deliver it, and the transparency that connects them.

The limitations of this system are readily observable. This writer tested the simple exercise of verifying a doctor's credentials on the Tamil Nadu Medical Council (TNMC) website. What should have been a straightforward search turned out to be unexpectedly challenging. The system required specific details, such as the doctor's exact registration number, which was not readily available to the public. Whether something was missed or the website was simply not designed with the public – or even a colleague concerned – in mind, the experience pointed to a larger question: how much does institutional transparency shape public faith in medicine?

How institutions build trust In many western countries, public trust is maintained through highly accessible regulatory frameworks. For example, the United Kingdom's General Medical Council hosts a publicly accessible register where anyone can quickly verify a doctor's qualifications, registration status, and any history of regulatory restrictions. Similarly, the provincial Colleges of Physicians and Surgeons in Canada require minimal identifying information to view a physician's professional profile. These organizations explicitly signal that professional standards are being ensured through peer review, continuing education, and clear processes for handling complaints. This transparency does more than just share data. It reassures people that medical practice is open to independent scrutiny, creating a safe environment where individual doctor-patient relationships can thrive.

India's clinical landscape is evolving similarly, with a workforce that is known for its excellent clinical acumen despite working under considerable constraints. While the National Medical Commission has taken steps to improve medical education and professional standards in recent years, public faith in regulatory transparency remains uneven. State Medical Councils, including the TNMC, hold digital registers, but the ease with which a regular patient can navigate them varies. As India continues its digital transformation, making these regulatory portals genuinely user-friendly is a



Vinod Arora
Clinical Associate Professor of Pediatrics, former Director, Student Assessment, Undergraduate Medical Education, University of British Columbia, Canada, and also involved in medical professional regulation.

low hanging opportunity to reinforce public trust at its foundation. Beyond individual blame between regulatory bodies and individual hospitals, clinics, and their organizational processes, these daily workflows heavily influence patient satisfaction, shaping perceptions of fairness long before a clinical outcome is reached.

System transparency requires clear communication about medical costs, operational processes, and pathways to register a grievance. Crucially, it also means having an internal culture of medical auditing, rather than placing blame entirely on individuals when things go wrong, modern health care systems – following World Health Organization guidelines – are moving toward analyzing the systemic design flaws that allow mistakes to occur in the first place.

This approach requires a formal culture of "Open Disclosure". In advanced medical jurisdictions, being honest when things go wrong is a professional requirement, not an option. It involves a structured, honest conversation with the patient or their family, acknowledging the incident, explaining how it occurred, and detailing the steps being taken to prevent recurrence.

Formalising open disclosure in India, right from the ground level of clinical care, would be transformative. When hospitals support their doctors to be transparent about clinical uncertainties or complications, they reduce the emotional burden on the practitioner and prevent potential friction with families. A lack of clear information breeds suspicion. When processes are opaque or difficult to navigate, public dissatisfaction builds rapidly – even if the actual clinical care delivered was appropriate. Much of this friction arises not from malice, but from a mismatch between patient expectations and their actual experience.

India has seen a worrying rise in violence against health care workers. The Indian Medical Association reports that over 75% of doctors have faced some form of workplace violence. While the root causes are multifaceted, depressed systemic mistrust is often the spark that escalates conflict. In these high-stress settings, transparency is a protective shield, not an administrative burden. A system that is completely honest about limitations and constraints within clinical care makes it less likely that individual frontline doctors will become the sole targets of a family's anger and resentment. At the ground level, the doctor-patient relationship remains the ultimate test of the

profession – a space where high-stakes decisions are made in moments of profound human vulnerability. Here, transparency transitions from policy into a purely human interaction.

Modern patients increasingly expect clarity regarding who is treating them and why specific clinical decisions are chosen. This means explaining a diagnosis in plain language, detailing the rationale behind investigations, discussing therapeutic alternatives, and being transparent about costs and complications. Providing proactive, periodic updates on a patient's progress – or lack thereof – is often the single most effective way to ease a family's distress. This shift toward shared decision-making recognizes that transparency in treatment is about relationships, not just data. However, if transparency is to be a core part of modern medicine, it must be integrated into medical training. This cannot be taught in a lecture hall alone. It must be actively modelled by senior doctors during everyday clinical practice and

teaching. By embedding this culture of communication early, we prepare the next generation of physicians to navigate increasing public expectations.

In my experience, the majority of conflict in health care does not arise from the medical decisions themselves, but from how those decisions were communicated and understood. When patients feel genuinely heard and informed, the bond is strengthened. When communication is poor, even appropriate care may be perceived as inadequate.

A final reflection Doctors need safe, respectful, and dignified environments in which to work. Patients require reassurance that the care they receive is both ethical and competent. There are no competing demands; they are mutually reinforcing traits.

Trust in medicine is built collectively by what our institutions make visible, how our clinical care systems function, and how doctors and patients talk to one another. When transparency runs through all three layers, it stops being an abstract ethical principle and becomes part of everyday practice.

Doctors' Day has passed, words of appreciation are important, but the days after also invite a practical look at our systems. At a time when the medical profession is practicing under unprecedented strain, enhancing transparency in regulatory frameworks, clinical corridors, and individual consultation rooms is the most meaningful way to protect the integrity of the profession. Trust is an entitlement to be earned, it is a professional pact that must be continuously renewed through transparency.

- खुला प्रकटीकरण (Open Disclosure):** देखभाल प्रदान करने के दौरान कोई अप्रत्याशित नैदानिक प्रतिकूल घटना या चिकित्सा त्रुटि होने पर रोगियों और उनके परिवारों के साथ ईमानदार संचार का एक संरचित नीतिगत ढांचा।
- चिकित्सा अंकेक्षण (Medical Auditing):** पेशेवर मानकों के अनुपालन का आकलन करने और प्रणालीगत कमजोरियों की पहचान करने के लिए स्वास्थ्य प्रक्रियाओं, रोगी रिकॉर्डों और नैदानिक परिणामों की एक व्यवस्थित समीक्षा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार):** पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1996) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए अनुसार, इसमें स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का अधिकार शामिल है।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अधिनियम, 2019:** एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड (EMRB) जैसे निकायों के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा, पेशेवर नैतिकता और राष्ट्रीय पंजीकरण को नियंत्रित करता है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** सेवा वितरण के दायरे के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को विनियमित करता है, जो जवाबदेही बनाए रखते हुए चिकित्सा लापरवाही के लिए उपचार (Remedies) की अनुमति देता है।
- नैदानिक स्थापना (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010:** स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानक परिचालन प्रथाओं, सेवा शुल्कों के प्रदर्शन और न्यूनतम बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को अनिवार्य बनाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

लचीली और सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण के लिए विनियामक पहुँच, प्रणालीगत त्रुटि ऑडिट और सहानुभूतिपूर्ण रोगी संचार को एकीकृत करने की आवश्यकता है। पारदर्शिता को प्रशासनिक बोझ के बजाय एक संरचनात्मक दायित्व मानने से अग्रिम पंक्ति के डॉक्टरों की सुरक्षा होती है और नैदानिक चिकित्सा में जनता का विश्वास बना रहता है।

UPSC उपयोगिता (UPSC Relevance)

- पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्न पत्र-II (स्वास्थ्य, शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे) और सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्न पत्र-IV (चिकित्सा नैतिकता, पेशेवर नैतिकता और मानवीय मूल्य)।
- परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु:** संरचनात्मक स्वास्थ्य सुधारों, चिकित्साकर्मियों के खिलाफ कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा को रोकने के तंत्र, NMC अधिनियम के तहत संस्थागत जवाबदेही, और डॉक्टर-रोगी संबंधों के नैतिक आयामों पर ध्यान केंद्रित करें।

8. यूरोपीय संघ AI अधिनियम और भारत के तकनीकी क्षेत्र के लिए रणनीतिक अवसर (EU AI Act and Strategic Opportunities for India's Tech Sector)

मुख्य अंश एवं सारांश (Key Highlights & Summary)

- **यूरोपीय संघ AI अधिनियम का क्षेत्रातीत (Extraterritorial) प्रभाव:** अगस्त 2024 में लागू हुआ और अगस्त 2026 से इसके मुख्य प्रावधान प्रभावी हो गए हैं, यह अधिनियम उन विदेशी प्रदाताओं पर जोखिम-आधारित शासन लागू करता है (अत्यधिक जोखिमों को प्रतिबंधित करता है, उच्च जोखिम वाले मामलों को सख्ती से विनियमित करता है, और सीमित जोखिम वाले मॉडलों पर हल्की जांच लागू करता है) जिनके AI आउटपुट का उपयोग यूरोप में किया जाता है।
- **भारतीय IT मॉडल के साथ संरचनात्मक बेमेल (Structural Mismatch):** यह अधिनियम मानता है कि सॉफ्टवेयर एक तैयार उत्पाद के रूप में बेचा जाता है जिसे 'अनुरूपता मूल्यांकन' (Conformity Assessment - अनुच्छेद 43) के माध्यम से मंजूरी दी जाती है। यह भारत के सेवा-उन्मुख मॉडल के लिए रुकावट पैदा करता है, जहाँ परिनियोजन (Post-deployment) के बाद निरंतर संशोधन या ग्राहकों की आवश्यकतानुसार किए जाने वाले अपडेट महंगे पुनर्मूल्यांकन को ट्रिगर कर सकते हैं।
- **समयसीमा में समायोजन:** जून 2026 में, यूरोपीय संघ ने अपनी समयसीमा में ढील देने वाले पैकेज को अंतिम मंजूरी दी, जिसके तहत स्वतंत्र उच्च-जोखिम वाली AI प्रणालियों के लिए अनुपालन की समयसीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2027 और विनियमित उत्पादों में एम्बेडेड उच्च-जोखिम वाली AI के लिए अगस्त 2028 कर दिया गया, जबकि बाजार में पहले से मौजूद प्रणालियों को तब तक छूट दी गई जब तक कि उनमें महत्वपूर्ण संशोधन न किया जाए।
- **कानूनी उत्तरदायित्व में बदलाव:** तृतीय-पक्ष उच्च-जोखिम वाली AI प्रणालियों में संशोधन करने वाली भारतीय फर्मों को कानूनी रूप से प्रणाली 'प्रदाता' (Provider) के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाने का जोखिम है, जिससे उन्हें मूल विनियामक बोझ और अनियोजित कार्यात्मक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायित्व विरासत में मिलेगा।
- **AI अनुपालन में व्यावसायिक अवसर:** आवश्यक परीक्षण, तकनीकी दस्तावेज और विनियामक ऑडिटिंग की विशाल मात्रा विनियामक सेवाओं के लिए वैश्विक मांग पैदा करती है—एक ऐसा क्षेत्र जिसे हासिल करने के लिए भारत के कानूनी और तकनीकी पेशेवर पूरी तरह से सुसज्जित हैं।
- **द्विपक्षीय व्यापार का लाभ उठाना:** हाल ही में संपन्न भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तहत संस्थागत सहयोग तंत्र के माध्यम से, भारत वैश्विक AI अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुरूपता मूल्यांकन निकाय (Conformity Assessment Bodies) स्थापित कर सकता है।

Europe's AI rules may become India's opportunity

The Government of India has recently indicated that it is considering a standalone legislation to govern Artificial Intelligence (AI). However, the pressure on the AI supply chain is already felt due to the European Union (EU) AI Act which was entered into force in August 2024 and became applicable on August 2, 2026. The Act has adopted a risk-based approach to artificial intelligence ("AI") regulation, prohibiting certain AI systems, regulating high-risk ones, and imposing lighter checks for limited-risk use cases.

While most Indian firms are likely aware that the Act applies when their AI systems produce results in Europe, there is a more consequential story that goes beyond a compliance checklist.

A post-approval issue: The Act was drafted with a particular picture in mind, and that picture does not match how India's technology industry actually works. This mismatch, more than the Act's long reach, is what Indian companies should be watching. The Act assumes that software, once built and approved, is sold as a finished product. India's technology industry has never worked that way. The Act's focus on the legal consequences when an AI is updated post-approval.

Before a high-risk AI system, used for sensitive decisions such as hiring or education, can enter the European market, it must clear a conformity assessment under Article 43: proof that it meets the law's standards on testing, documentation and human oversight. For most such systems the provider assumes full legal liability. Thus, for an industry whose very nature is iterative improvement, the Act's intended purpose may trigger a British regulatory exercise.

Yet, the Act also presents an opportunity: High-risk compliance is operationalised through paperwork and proof. Most providers will be permitted to carry out that conformity assessment themselves, but they will also be required to document their governance measures, technical documentation, testing regime - has to be done in detail. The scale of this obligation is likely to generate demand for quality legal and technical professionals, which India can provide. Indian professional services firms have supported clients across data protection, financial regulation and technical assurance. They can provide regulatory capability for the Act too.

Top of the trade agreement: A longer term vision extends beyond compliance services. The Act creates a pathway for conformity assessment bodies established in third countries to be recognised and perform the functions of notified bodies, where the EU has concluded an appropriate agreement, and these bodies satisfy the requirements. This recognition is a question for treaty negotiation, and India has just signed a treaty capable of carrying it.

The India-EU Free Trade Agreement that was concluded in January includes standing machinery and regulatory cooperation provisions. If India can secure institutional arrangements as part of its partnership with the EU, it could become not just a supplier of AI compliance services but also a participant in the EU's conformity assessment ecosystem. Going ahead, it would provide the legal gateway through which qualified Indian conformity assessment bodies could eventually perform functions recognised in the Act. Europe has written itself a mountain of compliance and India has the capacity to do it. There is a version of this where the rules India fears become the work it sells. Which version arrives is still being decided, and not for much longer.

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **अनुरूपता मूल्यांकन (Conformity Assessment):** यूरोपीय संघ AI अधिनियम के अनुच्छेद 43 के तहत एक अनिवार्य प्रक्रिया जिसके माध्यम से प्रदाता यह प्रदर्शित करते हैं कि एक उच्च-जोखिम वाली AI प्रणाली बाजार में उतारे जाने से पहले परीक्षण, प्रलेखन (Documentation) और जोखिम न्यूनीकरण मानकों को पूरा करती है।
- **महत्वपूर्ण संशोधन (Substantial Modification):** स्वीकृति के बाद AI प्रणाली में कोई भी ऐसा परिवर्तन या अपग्रेड जो इसके इच्छित उद्देश्य को बदलता है या इसके कानूनी अनुपालन को प्रभावित करता है, जिससे एक नए अनुरूपता मूल्यांकन की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- अनुच्छेद 19(1)(g):** किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को करने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जो तकनीकी सेवाओं में घरेलू विनियामक डिजाइन के लिए आधार रेखा प्रदान करता है।
- यूरोपीय संघ AI अधिनियम (Regulation (EU) 2024/1689):** जोखिम स्तरों, क्षेत्रातीत दायित्वों और गैर-अनुपालन वाले AI अनुप्रयोगों के लिए सख्त दंड स्थापित करने वाला दुनिया का पहला व्यापक क्षैतिज (Horizontal) विधायी ढांचा।
- भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) और FTA ढांचा:** ऐसे द्विपक्षीय मंच जो विनियामक अभिसरण (Regulatory Convergence), तकनीकी मानकों की पारस्परिक मान्यता और सीमा पार डेटा शासन सहयोग को सक्षम बनाते हैं।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करता है, जिससे भारत की घरेलू गोपनीयता सुरक्षा यूरोप के GDPR जैसे वैश्विक मानदंडों के अधिक करीब आती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

हालांकि यूरोपीय संघ का AI अधिनियम लचीले भारतीय सॉफ्टवेयर संशोधनों के लिए परिचालन संबंधी चुनौतियां पेश करता है, लेकिन यह एक बड़ा व्यावसायिक अवसर भी प्रदान करता है। द्विपक्षीय व्यापार चैनलों का लाभ उठाकर और अपनी पेशेवर प्रतिभा को लामबंद करके, भारत केवल वैश्विक नियमों के अधीन होने के बजाय AI अनुपालन, प्रमाणन और तकनीकी ऑडिट सेवाओं के लिए एक प्रमुख केंद्र में बदल सकता है।

UPSC उपयोगिता (UPSC Relevance)

- पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्न पत्र-II (भारत से संबंधित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; महत्वपूर्ण अंतराष्ट्रीय संस्थान) और सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्न पत्र-III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी—विकास, अनुप्रयोग, दैनिक जीवन और उद्योग पर प्रभाव)।
- परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु:** अंतराष्ट्रीय नियमों के क्षेत्रातीत प्रभावों (ब्रसेल्स प्रभाव), मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से व्यापार-प्रौद्योगिकी कूटनीति, विकसित हो रहे AI आर्किटेक्चर को विनियमित करने की कानूनी चुनौतियों और तकनीकी अनुपालन बाजारों में सेवा निर्यात का विस्तार करने की रणनीतियों का विश्लेषण करें।

9. गिरफ्तारी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर संवैधानिक सीमाएं (Constitutional Limits on Arrest and Personal Liberty)

मुख्य अंश एवं सारांश (Key Highlights & Summary)

- आधारों की अनिवार्य सूचना:** *विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2025)* मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में प्रत्यक्ष और सार्थक रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

- **रिमांड आदेशों का अमान्यीकरण:** केवल रिश्तेदारों को सूचित करने या अस्पष्ट गिरफ्तारी रिकॉर्ड जारी करने से संवैधानिक परीक्षण पूरे नहीं होते; एक अवैध प्रारंभिक गिरफ्तारी बाद के न्यायिक रिमांड आदेशों को अमान्य कर देती है।
- **मजिस्ट्रेट के समक्ष समय पर प्रस्तुति:** यात्रा के समय को छोड़कर, 24 घंटे के भीतर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के जनादेश को लागू करने के लिए गिरफ्तारी ज्ञापन (Arrest Memo) में गिरफ्तारी के सटीक समय को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।
- **नियमित गिरफ्तारियों पर रोक:** *अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014)* का पुनरुच्चारण करते हुए, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सात साल से कम सजा वाले अपराधों के लिए केवल शक्ति मिलने के आधार पर नियमित रूप से गिरफ्तारी करने के बजाय इसे एक अपवाद होना चाहिए, जिसके लिए लिखित रूप में आवश्यकता का औचित्य देना अनिवार्य है।
- **हिरासत में गरिमा का अधिकार:** हिरासत के दौरान अपमानजनक व्यवहार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जिसके तहत व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा के लिए राज्य के प्रक्रियात्मक ढाँचों में संशोधन के निर्देश दिए गए हैं।
- **मनमानापन बनाम स्वर्णिम त्रिभुज:** मनमानी गिरफ्तारियां अनुच्छेद 14, 19 और 21 ("स्वर्णिम त्रिभुज") के बीच के मौलिक संबंध का उल्लंघन करती हैं, जिससे मूल (Substantive) और प्रक्रियात्मक प्राकृतिक न्याय कमजोर होता है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **गिरफ्तारी बनाम हिरासत (Arrest vs. Detention):** गिरफ्तारी किसी अपराध के सम्भावित कारण के आधार पर औपचारिक पुलिस हिरासत है, जबकि हिरासत (Detention) औपचारिक आपराधिक आरोपों के बिना केवल जांच संबंधी पूछताछ के लिए एक अस्थायी प्रतिबंध है।
- **निवारक निरोध (Preventive Detention):** राज्य अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति को सम्भावित भावी अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में लेने की कार्रवाई, जो न्यायिक सुनवाई के बाद दी जाने वाली दंडात्मक हिरासत (Punitive Detention) से भिन्न है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है, जिसमें हिरासत में रहते हुए मनमाने, अपमानजनक या अमानवीय व्यवहार से मुक्ति शामिल है।
- **अनुच्छेद 22(1):** गिरफ्तार व्यक्तियों को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार देता है और किसी कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने तथा उनके द्वारा बचाव किए जाने के अधिकार की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 22(2):** प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य बनाता है।

- धारा 35, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023:** (पूर्व में CrPC की धारा 41); उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करती है जहाँ पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और आवश्यकता के लिखित कारणों को दर्ज करना अनिवार्य बनाती है।
- धारा 58, BNSS, 2023:** (पूर्व में CrPC की धारा 57); मजिस्ट्रेट के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखने को प्रतिबंधित करती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

राज्य के अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए गिरफ्तारियों के क्रियान्वयन में प्रक्रियात्मक कठोरता आवश्यक है। अनुच्छेद 22 के जनादेशों को सख्ती से लागू करके और नियमित गिरफ्तारियों को खारिज करके, न्यायिक निर्णय आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर प्राकृतिक न्याय और मानवीय गरिमा की रक्षा करते हैं।

UPSC उपयोगिता (UPSC Relevance)

- पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्न पत्र-II (मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान—प्रक्रियाएं, सुरक्षा उपाय, न्यायिक निर्णय और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार)।
- परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु:** अनुच्छेद 22 के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों, स्वर्णिम त्रिभुज सिद्धांत (मेनका गांधी मामला), गिरफ्तारी की शक्ति को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देशों (अर्नेश कुमार, विहान कुमार), और CrPC से BNSS वैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन का विश्लेषण करें।

10. यूके चेवनिंग फेलोशिप पर अस्थायी रोक: भारत-यूके सॉफ्ट पावर गतिशीलता के लिए रणनीतिक प्रभाव (Temporary Pause on UK Chevening Fellowships: Strategic Implications for Indo-UK Soft Power Dynamics)

मुख्य अंश एवं सारांश (Key Highlights & Summary)

- प्रमुख फेलोशिप का एक साल का निलंबन:** यूके सरकार ने 2027-28 शैक्षणिक चक्र के लिए मध्य-कैरियर पेशेवरों के लिए तीन प्रमुख अल्पकालिक चेवनिंग फेलोशिप को रोक दिया है: CRISP, साइबर सुरक्षा, और दक्षिण एशिया पत्रकारिता कार्यक्रम (SAJP)।
- रोक के पीछे मुख्य कारण:** अधिकारियों ने यूके विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) की लागत में कटौती, पोर्टफोलियो अनुकूलन, और वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय जैसे मेजबान संस्थानों में क्षमता की बाधाओं को मुख्य कारण बताया।
- लक्षित नेतृत्व समूह:** प्रभावित कार्यक्रम महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों को पूरा करते हैं, जिनमें ऑक्सफोर्ड का CRISP (विज्ञान और उद्यमिता), क्रेनफील्ड का साइबर सुरक्षा फेलोशिप (रक्षा और प्रौद्योगिकी), और SAJP (पूरे दक्षिण एशिया में मीडिया सहयोग) शामिल हैं।

- **वैकल्पिक वित्तपोषण की ओर रुख:** चेवनिंग इंडिया समूहों को बनाए रखने के लिए कॉर्पोरेट साझेदारियों और उद्योग प्रायोजनों की तलाश कर रहा है, जिसमें ऑक्सफोर्ड में आगामी चेवनिंग गुरुकुल फेलोशिप भी शामिल है।
- **मास्टर डिग्री छात्रवृत्तियां बरकरार:** दीर्घकालिक समग्र वित्तपोषण संकुचन के बावजूद 2027-28 के लिए पूर्णकालिक, एक वर्षीय चेवनिंग मास्टर डिग्री छात्रवृत्तियां चालू रहेंगी।
- **ट्रैक II कूटनीति पर प्रभाव:** यह अस्थायी रोक संस्थागत लोगों से लोगों के आदान-प्रदान, ट्रैक II राजनयिक जुड़ाव और भारत और यूके के बीच सीमा पार पेशेवर नेटवर्किंग को बाधित करती है।

Why has the U.K. paused three Chevening fellowships?

What are the three programmes, who do they serve, and what happens next?

Main findings

The story so far: The U.K. government has paused short-term fellowships offered to mid-career professionals under the Chevening programme for one year. The Chevening Research, Science and Innovation Leadership Fellowship (RSILF), the Chevening Cyber Security Fellowship, and the Chevening South Asia Journalism Programme (SAJP) have been paused for the year 2027-28.

Why have the Chevening fellowships been paused? According to official sources, the fellowships have been paused for varying reasons, including capacity constraints and cost-cutting by the U.K. government. "We are currently reviewing and strengthening our fellowship portfolio to ensure it continues to deliver the greatest impact and value for participants and partners. As part of this process, some programmes will pause in 2027-28. A British

High Commission spokesperson confirmed in response to The Hindu's queries. "The SAJP will pause for the 2027 cycle due to capacity constraints at the host university, and is expected to resume in 2028," the source said. "We recognise this will be disappointing news for those who were hoping to apply, but we hope to be able to provide an update on future plans for the programmes soon," the source added.

What is the nature of the fellowships? The RSILF fellowship is a 12-week programme for scientists, researchers and entrepreneurs hosted by the University of Oxford. The Chevening Cyber Security Fellowship is a 12-week programme delivered at Cranfield University, a part of the U.K.'s Defence Academy. The SAJP is an eight-week programme based by the University of Westminster for mid-career journalists. CRISP focuses on fellows from India and Sri Lanka, the Cyber Security Fellowship is offered to Indians and

citizens of the Western Balkans. The SAJP is a one-of-a-kind programme that brings together journalists from India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, and the Maldives. What avenues is Chevening India exploring to restart the fellowships? The Chevening team is exploring industry sponsorship for CRISP and the Cyber Security Fellowship, and welcomes suggestions and potential partners. "We expect to provide an update on the Chevening Global Fellowship (September-November 2027) which by early November 2026, and are currently exploring sponsorship opportunities for this programme too," sources said.

The Global Fellowship, also hosted at the University of Oxford, is a 12-week programme targeting mid-career Indian professionals across sectors, including government, media, and civil society. How much has the U.K. government spent on the programmes? Data tabled in the U.K. Parliament show

that in financial year 2025-26, the U.K.'s Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) allocated £25.1 million to Chevening. A breakdown of the funding split between fellowships and scholarships is not available in the public domain. The Hindu's query to the British High Commission on this went unanswered. "Through corporate partner income and university partnerships, Chevening receives between £10-12 million annually, funding 22% of scholars," the U.K.'s then Secretary of State for the FCDO stated in a policy paper presented in the U.K. Parliament in 2023.

THE GIST

The U.K. has paused three Chevening fellowships — CRISP, Cyber Security Fellowship and SAJP — for 2027-28, citing portfolio review, cost-cutting and capacity constraints.

Chevening is exploring industry sponsorship to sustain some programmes, while the pause comes amid a larger drive to streamline the number of scholarships awarded and scrutiny of programme funding.

The U.K. government launched the Chevening Fellowship in 2004 as an extension of the broader Chevening Scholarships, which were established in 1963. For 2027-28, applications for Chevening Scholarships, which offer a fully funded Master's in the U.K., have opened. The Chevening programme functions as an instrument of soft diplomacy for the U.K. by selecting high-potential international professionals to study in the U.K. on the FCDO's fully funded programme, the U.K. government aims to cultivate influential global networks that advance foreign policy interests. "Many of Chevening's alumni are in positions of influence, and they form a valuable network for furthering His Majesty's Government's objectives," a policy paper on the programme states.

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **सॉफ्ट पावर (Soft Power):** जबरदस्ती के बजाय सांस्कृतिक आकर्षण, शैक्षणिक कूटनीति और साझा मूल्यों के माध्यम से अंतराष्ट्रीय परिणामों को प्रभावित करने और प्राथमिकताओं को आकार देने की किसी राष्ट्र की क्षमता।
- **ट्रैक II कूटनीति (Track II Diplomacy):** विश्वास का निर्माण करने और आधिकारिक नीति चैनलों को प्रभावित करने के उद्देश्य से शिक्षाविदों, पत्रकारों और पेशेवरों के बीच अनौपचारिक, गैर-सरकारी बातचीत।
- **चेवनिंग फेलोशिप (Chevening Fellowships):** प्रमुख भू-राजनीतिक क्षेत्रों में मध्य-कैरियर के नेताओं को लक्षित करते हुए यूके FCDO द्वारा संचालित पूरी तरह से वित्तपोषित अल्पकालिक पेशेवर विकास कार्यक्रम।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **संवैधानिक क्षेत्र (भारत):**
 - **अनुच्छेद 51(c) (DPSP):** राज्य को अंतराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति आदर बढ़ाने का निर्देश देता है, जो अंतराष्ट्रीय शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक संवैधानिक आधार प्रदान करता है।
 - **सातवीं अनुसूची (संघ सूची, प्रविष्टि 10 और 13):** संसद को विदेशी मामलों और अंतराष्ट्रीय संधियों, समझौतों और सम्मेलनों पर अनन्य क्षेत्राधिकार प्रदान करती है।
- **द्विपक्षीय ढांचा:**
 - **भारत-यूके रोडमैप 2030:** लोगों से लोगों के जुड़ाव को बढ़ाकर रक्षा, व्यापार, जलवायु कार्रवाई और शिक्षा के क्षेत्र में संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए बनाया गया एक व्यापक द्विपक्षीय ढांचा।

निष्कर्ष (Conclusion)

चेवनिंग फेलोशिप पर अस्थायी रोक विकसित देशों में बजटीय बाधाओं के प्रति सॉफ्ट पावर पहलों की भेद्यता को उजागर करती है। शैक्षणिक कूटनीति को बनाए रखने और दीर्घकालिक द्विपक्षीय जुड़ाव की रक्षा के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से वित्तपोषण का विविधीकरण करना महत्वपूर्ण होगा।

UPSC उपयोगिता (UPSC Relevance)

- **पाठ्यक्रम संबंध:** सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्न पत्र-II (भारत और उसके पड़ोसी संबंध; भारत से संबंधित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव; विदेश नीति में सॉफ्ट पावर और प्रवासी भारतीयों की भूमिका)।
- **परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु:** सॉफ्ट पावर के रणनीतिक मूल्य, बजट कटौती के बीच अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के प्रभाव, और भारत-यूके द्विपक्षीय संबंधों के आर्थिक व सांस्कृतिक पहलुओं का विश्लेषण करें।

